न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/44/2025 रजू दिनांकः 15.04.2025 रजि0 न0 2025/73

अपीलार्थीः–

श्री रोहताश, निवासी ग्राम नांगल–पोस्ट मंडी अटेली, जिला महेन्द्रगढ़ पिनकोड–123021 (हरियाणा)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 28.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 05.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/805 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 05.03.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 05.03.2025 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में RTI Online Portal पर Outward No. 9161137402 Date 23-04-2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। तथापि प्रथम अपील के अनुशरण में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः पंजीकृत–पत्र के माध्यम से भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal के Outward No. 9161137402 Date 23-04-2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/806 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)